स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 215, दिनांक 05—09—2020

अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ के बड़े खेप की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त लगभग 1727 कि0ग्रा0 अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4.5 करोड़ रूपये) सहित गिरफ्तार।

आज दिनांक 05—09—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, लगभग 1727 कि0ग्रा0 अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4.5 करोड़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1— शुभम त्यागी पुत्र रामभूल त्यागी, निवासी सुहाना नगला अब्बू, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद।

2— लोकेश कुमार पुत्र बलबीर चौधरी निवासी कस्बा रोड संजयपुर, बेगमाबाद बुडान, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः

1— लगभग 1727 कि0ग्राम अवैध गांजा

2— 01 ट्रक नं0—यूपी 14 डीटी / 1955

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान—

दिनांक 05—09—2020 समय 12.30 बजे, तहसील चौराहा आगर कोटा रोड, थाना क्षेत्र सुसनेर, जनपद आगर मालवा, मध्य प्रदेश।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से तेलंगाना व आन्ध प्रदेश राज्यों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियों / तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों / टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के निर्देशन में उ0नि0 श्री सौरभ विक्रम सिंह, एसटीएफ, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ फील्ड इकाई गौतमबुद्धनगर की टीम को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि भद्राचिलम से आगे तेलंगाना, आन्ध प्रदेश बार्डर के पास से एक ट्रक में कुछ अवैध सामग्री की बड़ी खेप वारंगल, आन्ध्र प्रदेश, आदिलाबाद, नागपुर (महाराष्ट्र), खरगौन, बुढानपुर से होकर उत्तर प्रदेश में आगरा से बुलन्दशहर होते हुए गाजियाबाद आने वाली है। इस सूचना को विकसित करते हुए उपनिरीक्षक श्री सौरभ विक्रम सिंह एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में का0 अंकित कुमार, का0 वाजिद अली, का0 मनोज रोहन, का0 विवेक मलिक, का0 अमरदीप, का0 मनोज यादव एवं का0 नितिन गोस्वामी की टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए सुसनेर मध्यप्रदेश पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर तहसील चौराहा आगर कोटा रोड, सुसनेर, मध्य प्रदेश

से उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को आज दिनांक 05–09–2020 को समय लगभग 12.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

संयुक्त पूछताछ पर अभियुक्त शुभम त्यागी व लोकेश कुमार ने बताया कि इस अवैध गांजे की सप्लाई मुख्य रूप से भद्राचिलम से आगे तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश बार्डर के पास के जंगलों से माल भरकर वारंगल–नान्देड़ के रास्ते होते हुए नागपुर (महाराष्ट्र) होते हुए खरगौन, बुढ़ानपुर, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में संइया, आगरा के रास्ते प्रवेश करते हुए और फिर बुलन्दशहर से होते हुए गाजियाबाद जाते हैं, जहॉ से इस अवैध गांजे का वितरण अन्य ड्रग पैडलर्स के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र में कराया जाता है। इस अवैध गांजा सप्लाई में मुख्य रूप से सुनित चौधरी उर्फ मामा निवासी सैदपुर भूड़ीत्र थाना गुलावठी, जनपद बुलन्दशहर तथा इरफान उर्फ नेता निवासी गाजियाबाद सम्मिलित रहते हैं। इरफान उर्फ नेता आन्ध्र प्रदेश में रहकर अवैध गांजा की लोडिंग का काम देखता है तथा ट्रान्सपोर्ट की जिम्मेदारी सुनित चौधरी उर्फ मामा की होती है। सुनित चौधरी ने अपना ठिकाना/गोदाम गाजियाबाद में बनाया हुआ है, जिसके बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश कुमार रिश्ते में सुनित चौधरी उर्फ मामा का जीजा लगता है। इस अवैध गांजे का ट्रान्सपोर्ट करने के लिए इस संगठित गैंग ने बन्द बॉडी की ट्रकों में बड़ी कैविटी बना रखी है, जिससे यह अवैध गांजा का ट्रान्सपोर्ट करते हैं और इस अवैध ट्रान्सपोर्ट के लिए सुनित चौधरी 500 रूपये प्रति कि0ग्रा0 लेता है तथा ट्रान्सपोर्ट लोकेश कुमार करता है और शुभम त्यागी केयर टेकर का काम देखता है और दिये गये आदेश–निर्देश पर गाड़ी रूट पर चलाता है, जिसके लिए शुभम त्यागी को प्रति चक्कर 01 लाख रूपया दिया जाता है। बरामद अवैध गांजे की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4.5 करोड़ रूपये है।

गिरफ्तार उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सुसनेर, जनपद आगर, मालवा, मध्य प्रदेश पर मु0अ0सं0:262/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है और अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना द्वारा जा रही है।